न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 121 / 2019

वाद दायरी दिनांक : 24 / 09 / 2019

निर्णय दिनांक : 24/12/2019

तेज भंवर पुत्र स्व0 मोहनलाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम डेडू, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

— वादी

बनाम

1. प्रेम पत्नी स्व0 मोहनलाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम डेडू, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. गोविन्द सिंह पुत्र स्व0 मोहनलाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम डेडू, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरारहक
अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0

उपस्थिति – श्री कन्हैयालाल माली
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री प्रहलाद कडवा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 24/12/2019

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0 इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073 ल. 2076 के आराजी खतौनी संख्या 162 के आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर जो वाके ग्राम डेडू, तहसील मौजमाबाद में स्थित है, जिसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजीयात वर्तमान में हिस्सा 1/2 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता/पति के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, आराजी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 80 साबिक रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 71 के रूप में दर्ज रहा है तथा उपरोक्त आराजीयात वादी के पिता स्व0 मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र दरोगा के द्वारा क्रय की जाकर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 373 के रूप में वादी के पिता स्व0 मोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दिनांक 03/12/1996 को खोला गया है। उपरोक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी पिता एवं पति के पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेखों में सहवन से मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र, जाति जाट दर्ज हो गया जो राजस्व कर्मियों द्वारा सहवन से गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है, जबकि उपरोक्त आराजीयात मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र, जाति दरोगा दर्ज की जानी चाहिए थी। उक्त त्रुटि जो हुई वह मात्र जाति दरोगा के स्थान पर जाट दर्ज हो जाने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता की मृत्यु के पश्चात जमाबन्दी की नकलें प्राप्त करने पर जानकारी में आया जिसके पश्चात दिनांक 13/09/2019 को प्रार्थी के द्वारा सम्पूर्ण नकलें प्राप्त कर तहसीलदार महोदय से विरासत नामान्तरकरण हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय ने न्यायालय में चाराजोंही करने की हिदायत दी, जिस कारण अपने हकों की घोषणार्थ एवं अपने पिता की जाति को दुरूस्त करने हेतु यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज स्व0 मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/2 जाति जाट के स्थान पर मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/2 जाति दरोगा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्व0 मोहनलाल के दर्ज हिस्से में बराबर–बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। पालनार्थ हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 09/12/2019 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री प्रहलाद कडवा एडवोकेट ने वकालतनामा व इकबालिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल मिलान क्षैत्रफल, जमाबन्दी सम्वत 2069 ल. 2072, नकल नामान्तरकरण, नकल जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055, फोटो प्रति राशनकार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र, भामाशाह कार्ड तथा पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब / तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि तहसीलदार मौजमाबाद ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया है कि "जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 162 की आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 0.10 हैक्टेयर नहरी–2 वाके ग्राम डेडू, तहसील मौजमाबाद में स्थित है, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.10 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 71 रकबा 08 बिस्वा मुताबिक ना0स0 373 दिनांक 03/12/1996 से वादी के पिता मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र, कौम दरोगा हि. 1/2 कय की थी, परन्तु नवीन भू प्रबन्ध सन् 2002 से 2022 में मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र हि. 1/2 की जाति दरोगा के बजाय जाट दर्ज हो गयी हैं, जो आधार वर्ष जमाबन्दी सम्वत 2059–2059 व सम्वत 2065–68 व सम्वत 2069 से 2072 तथा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में भी जाति जाट ही दर्ज हैं।" इस प्रकार अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त आराजीयात वादी के पिता की कयशुदा आराजीयात है, जिससे साबिक रिकार्ड में वादी के पिता की जाति दरोगा ही अंकित है, जो सही है, लेकिन उसके पश्चात हुये सैटलमेन्ट में सहवन से राजस्व कारकुनानों द्वारा वादी के पिता की जाति दरोगा के स्थान पर जाति जाट दर्ज कर दी गयी जो वर्तमान जमाबन्दी में भी गलत ही चली आ रही हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र से वादी के पिता मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र का स्वर्गवास होना पाया जाता हैं। वादी ने सिजरा अंकित करते हुये मोहनलाल के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 विधिक वारिश होकर खातेदारी घोषणा चाही हैं, इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपन सहमति प्रकट करते हुये इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादी को वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार रिपोर्ट से भी वादी के वाद की ताईद होती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त वादी अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है, जिससे वादी का वाद डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति प्रतीत नही होती हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खाता संख्या 162 के आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 0.1000 हैक्टेयर वाके ग्राम डेडू,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0 में दर्ज वादी के पिता मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र की जाति जाट के स्थान पर जाति दरोगा दर्ज की जाकर विवादित आराजी में स्व0 मोहनलाल के दर्ज हिस्से का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बतौर बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार मौजमाबाद को आदेश दिया जाता है कि स्व0 मोहनलाल के विधिक वारिसान की नियमानुसार जांच कर यदि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अलावा स्व0 मोहनलाल के अन्य वारिसान नहीं हो तो निर्णय व डिक्री की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जिला जयपुर) राज0।

राज पंजाबरा फलरान, जयपुर फोन : अन्तिम डिक्री

डिग्री मुकद्दमा इब्तादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत R.A.S. मुकाम दूदू

प्रेम शंकर पुत्र स्व. मोहनलाल जाति दरोगा, नि० ग्राम डेहू त० मौजमाबाद (जयपुर) बनाम प्रेम पत्नी स्व० मोहनलाल जाति दरोगा, नि० ग्राम डेहू त० मौजमाबाद व अन्य (जयपुर)

दावा बाबत उद्घोषणा

मुकदमा नं. 121 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कन्हैयालाल माली

व हाजिरी

मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री प्रहलाद डूडवा, प्रति० सं० 1 व 2

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रति० सं० 3 की ओर से पैरो० उप०

वादीगण बाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खाता नं. 162 के अराजी ख० 40 रकबा 0.1000 हे० वाके ग्राम डेहू, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज० में दर्ज वादी के पिता मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र की जाति के बाद के स्थान पर जाति दरोगा दर्ज की जाकर विवादित आराजी में स्व० मोहनलाल के दर्ज हिस्से पर वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 को बहिस्सा बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मौजमाबाद को आदेश दिया जाता है कि स्व० मोहनलाल के विधिक वारिसान की नियमानुसार ... वादी एवं प्रति० नं. 1 व 2 के अलावा स्व० मोहनलाल के अन्य वारिसान नहीं हो ... निर्णय व डिक्री की पालना करवाना माना सुनिश्चित करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 12 सन 2019 को जारी की गई।

मुहर [stamp: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू]

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner